राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हरी सब्जी उत्पादक बनाम मंगलचन्द 541/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो |	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04/03/2021 पारित करते हुये उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जवाब पेश करने तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/10/2021 पारित करते हुये उभयपक्षों को ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में विस्तृत विवेचित करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त दौराने बहस यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्रशनगत भूमि पर फैक्ट्रियां स्थापित होकर उसका अकृषि प्रयोजनार्थ पूर्व से उपयोग हो रहा है, ऐसेमें प्रकरण के युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत निस्तारण हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/10/2021 निरस्त किया जाकर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हरी सब्जी उत्पादक बनाम मंगलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	541/2021	

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रशनगत भूमि के सन्दर्भ में लैण्ड होल्डर तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |